

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
संख्या 660
दिनांक 8/3/22
क्रमांक: प.14(3)गृह-12/कारा/2016

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

जयपुर, दिनांक : 04 MAR 2022

—: आदेश :—

कारागार विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों के लिए भ्रमण/निरीक्षणों/जनसुनवाई की नियमित समीक्षा करने, पायी गई कमियों पर सुधारात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही कराने और आमजन को उनके परिवेदनाओं/शिकायतों/आवेदनपत्रों का निर्धारित अवधि में निस्तारण कराने, राहत प्रदान करने के लिए विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मानदण्ड निर्धारित करते हुए यह निर्देशित किया हुआ है। विभिन्न स्तर पर किये जाने वाले निरीक्षण, दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण की समीक्षा के लिये प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश क्रमांक प.3(8)प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के बिन्दु संख्या 20 (2) की पालना में निम्नांकित अधिकारी को एतद्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है:—

नाम	पदनाम	विभाग	दूरभाष नं.
श्री भवानी शंकर	वरिष्ठ शासन उप सचिव	गृह (ग्रुप-12) विभाग	9314111331 0141-2385590

(डॉ. सोनिया झा)

संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
3. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बन्धित अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

9/3/22
8/3/22